कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

सूचना का अधिकार

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सिंगरौली, दिनांक 22-02-022

क्र0 / मा0चि0 / 514

प्रति,

श्री एस.डी. सोनवानी
उप वन मण्डल अधिकारी बैढ़न

विषयः– Forest Conservation Act, 1980 for diversion of 31.661 Ha. Fresh forest area in favour of M/s NCL for mining of coal in Khadia Expansion Open Cast Project in Singrauli District in the State of Madhya Pradesh.

संदर्भः– महाप्रबंधक खड़िया परियोजना नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड का पत्र क्रमांक 3255 दिनांक 04.02.2022।

–000–

विषयांकित संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का भाग–1 की छायाप्रति संलग्न कर भेजा जा रहा है जिसके संबंध में लेख है नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड खड़िया परियोजना में माइनिंग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रस्ताावित है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैढ़न अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी.एफ. 261 कुल रकवा 31.661 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

उपरोक्त वन भूमि का स्थल निरीक्षण कर वृक्षों की गणना सहित प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप–1 एवं 2 में तैयार कर 05 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। तथा प्रस्तावित वन भूमि रकवा 31.661 हे0 के बदले दुगने बिगड़े वन रकवा 65 हे0 का स्थल चयन कर 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। कृपया वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन करते समय यह ध्यान रखें कि वनभूमि का घनत्व सघन वन एवं घने वन नहीं होना चाहिए एवं पूर्व में किसी परियोजना में वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होना चाहिए।

संलग्न :–
1. प्रस्ताव के ऑनलाइन भाग–1 की छायाप्रति।
2. निर्धारित प्रारूप–1 एवं 2।
3. के0एम0एल0 फाइल।

(मधु व्ही. राज)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक 22-02-022

पृ0क्र0 / मा0चि0 / 515

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक खड़िया परियोजना नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया संबंधित उप वन मण्डल अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सहयोग प्रदान करें एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं वृक्षों की गणना पत्रक इस कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं निम्नानुसार जानकारी देवें:–

a) प्रकरण का पंजीयन / प्रोसेसिंग शुल्क म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक / एफ–5–14 / 2005 / 10–3 / भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2012 के निर्देशानुसार प्रकरण में पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क निम्नानुसार जरिये बैंक ड्राफ्ट द्वारा वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली देय बैढ़न के नाम से जमा करें।

1. पंजीयन शुल्क	–	5,000 / –(रू. पाँच हजार मात्र)
2. प्रोसेसिंग शुल्क	–	30,000 / –(रू. तीस हजार मात्र)
कुल योग	–	**35,000 / –(रू. पैंतीस हजार मात्र)**

765 kv kml

b) एन.सी.एल. खड़िया को पूर्व में व्यपवर्तित रकवे की के.एम.एल. फाईल संलग्न कर संबंधित उप वन मण्डल अधिकारी के साथ मौके पर मुनारों के साथ मिलान कराकर एवं सत्यापित कराकर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

765 kv kml